

Attachment 2.27

प्रारूप-18

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत मंच-बकोड़ा मोटर मार्ग (लम्बाई 12.00 किमी०)।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

वन भवन अधिकारी
चम्पावत राशि

अधिसूची अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (राशि)